



डेढ़ वर्षीय (तीन सेमेस्टर)
“पोलीमर साइंस एवं रबर टेक्नोलोजी”
पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र
सत्र 2011 – 2012

आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि
दिनांक 16.09.2011 को सायं 5:00 बजे तक

विवरण पुस्तिका मय आवेदन पत्र शुल्क
रु 300/- नकद, रु 350/- डाक द्वारा

1. उक्त पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा “हरि शंकर सिंघानिया इलास्टोमर एण्ड टायर रिसर्च इन्स्टीट्यूट [HASETRI]” (जे. के. टायर लिमिटेड) तथा इण्डियन रबर इन्स्टीट्यूट, राजस्थान चेप्टर के सहयोग से संचालित होगा। कोर्स प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान तथा ए आई. सी. टी. ई. से मान्यता प्राप्त है।
2. पाठ्यक्रम तीन सेमेस्टर (डेढ़ वर्ष) में पूर्ण होगा।
3. पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र अन्तिम तिथि 16.09.2011, सायं 5:00 बजे तक या उससे पूर्व संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर को पहुँच जाने चाहिये।
4. प्रवेश के लिये विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र तथा प्रवेश से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी एवं आवश्यक सूचनायें विभागीय वेबसाईट <http://dte.rajasthan.gov.in> एवं <http://vbpolytechnic.edu.in> पर भी उपलब्ध है।
5. प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश के लिये विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर से रु 300/- नगद भुगतान कर अथवा डाक द्वारा रु 350/- का भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रवेश आवेदन पत्र पेरा 4 में वर्णित वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा कर इसे पूर्ण रूप से भर कर रु 300/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो कि “प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर के नाम देय हो, संलग्न कर निर्धारित अंतिम तिथी तक भिजवा सकते हैं।
6. प्रवेश मेरिट के आधार पर संयोजक पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा किये जायेंगे।
7. सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय में शुल्क ड्राफ्ट/नकद के रूप में जमा कराना होगा। जो प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर के नाम देय हो।

संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर

• फोन न. 0294 – 2451309, 2452997 •

ई मेल :- vidyabhawanpolytechnic@yahoo.co.in

**विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर के डेढ़ वर्षीय
“पोलीमर साइंस एवं रबर टेक्नोलोजी”
पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र**

सत्र 2011 – 2012

1. प्रवेश के लिये दिशा निर्देश :-

1. आवेदन पत्र अंग्रेजी में केपिटल अक्षरों (Capital Letters) में भरें।
2. देरी से प्राप्त, अपूर्ण एवं गलत भरे हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेश के लिये विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र तथा प्रवेश सम्बन्धी नवीनतम जानकारी एवं आवश्यक सूचनायें विभागीय वेबसाईट <http://dte.rajasthan.gov.in> एवं <http://vbpolytechnic.edu.in> पर उपलब्ध रहेगी।
4. जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम उक्त तिथि तक प्राप्त नहीं हुए हों, एवं यदि अभ्यर्थी प्रवेश चाहते हो तो वे अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र भिजवा दे, परन्तु उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होते ही अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति तत्काल संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर को जमा करानी होगी।
5. अभ्यर्थी समस्त दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन पत्र भरे एवं संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर को निर्धारित अंतिम तिथि तक पहुंचायें।
6. **आवेदन पत्र के साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री की अंकतालिका की सत्यापित फोटोप्रतियां एवं अन्य दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां संलग्न करें।**
7. संबंधित बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एड्युकेशन की वेबसाईट से डाउनलोड की गयी अंकतालिका की प्रति भी जमा करवा सकते हैं।
8. **आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें :**
 - (i) माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटोकॉपी। यदि अभ्यर्थी ने माध्यमिक परीक्षा के साथ उच्च माध्यमिक (अकादमिक) या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी इंजीनियरिंग व्यवसाय से प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसकी भी अंकतालिका व प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
 - (ii) इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण की अंकतालिका व प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। यदि अभ्यर्थी ने इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि प्राप्त की है तो उसकी मूल अंकतालिका साथ लावें। यदि अभ्यर्थी को किसी कंपनी में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है तो उसका प्रमाण पत्र साथ लावें।
 - (iii) आयु प्रमाण पत्र हेतु माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र अथवा अंकतालिका की सत्यापित फोटोकॉपी।
 - (iv) आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रमाण पत्र :-

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नॉन क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये सक्षम अधिकारी (जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी। इस पत्र पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है। अभ्यर्थी यह देख ले कि उसकी जाति राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशिष्ट पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है, जिसके नहीं होने पर प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। इस प्रमाण पत्र में नाम एवं उपनाम वहीं होना चाहिये जो कि अंकतालिका में है। **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हों।**

नोट :-

1. यदि अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी किया हुआ है तो वह मान्य होगा अन्यथा वह परिशिष्ट-III में उक्त प्रमाण पत्र प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
2. प्रमाण पत्रों में नाम व उपनाम अंकतालिका से भिन्न होने की स्थिति में शपथ पत्र परिशिष्ट-V में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) सैनिक या भूतपूर्व सैनिक की सन्तान/पत्नी होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र परिशिष्ट-II में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा जिस पर **प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील** होना आवश्यक है।
- (ग) निःशक्त अभ्यर्थी का आर्थोपेडिक सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी।
- (घ) विधवा महिला के लिये पति के देहान्त का प्रमाण पत्र या स्वयं का शपथ पत्र तथा तलाकशुदा महिला के लिये न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि।
9. निर्देशानुसार पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर को जमा करवाये।
10. प्रवेश मेरिट के आधार पर होंगे। वरियता क्रम निर्धारण कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा, परन्तु निःशक्त जन व भूतपूर्व सैनिक केटगरी के योग्य अभ्यर्थियों को आवंटन व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा किया जावेगा। इसके लिये अलग से साक्षात्कार पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।
11. प्रवेश हेतु अस्थाई योग्यता सूची विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगाई जायेगी तथा वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी।
12. अस्थाई योग्यता सूची के योग्यता क्रम में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर से स्वयं आकर मिले।
13. प्रवेश के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत निर्धारित तिथि तथा समय पश्चात् स्वीकार नहीं की जावेगी।

14. प्रवेश पश्चात अभ्यर्थी को **सारणी-2** में अंकित शुल्क **ड्राफ्ट/नकद के रूप में** विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में जमा कराना होगा। ड्राफ्ट **प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर** के नाम से **उदयपुर** में देय हो एवं मूल प्रमाण पत्र भी विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में निर्धारित तिथियों में जमा कराने होंगे।
15. प्रवेश हेतु मांगी गई सभी सूचनाएं, मूल प्रमाण पत्र एवं शुल्क आदि लाने पर ही प्रवेश सम्भव होगा।
16. डा. आर. के. राघवन की अध्यक्षता में गठित कमेटी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2007 की क्रियान्विति के आदेशानुसार **रैगिंग लेना कानूनन अपराध है।** यदि कोई भी छात्र/छात्राएँ संस्थान, संस्थान प्रांगण, छात्रावास एवं संस्थान के बाहर रैगिंग लेते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी एवं कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये संबंधित प्राचार्य द्वारा Undertaking प्राप्त की जायेगी। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राओं को संस्थान से निष्कासित करते हुए नामांकन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
17. नये अभ्यर्थियों को पंजीयन प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रथम सेमेस्टर में किया जायेगा।

2. प्रवेश में आरक्षण :-

सारणी : 1

पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता	अनुसूचित जाति (SC) 16 %		अनुसूचित जनजाति (ST) 12 %		नॉन क्रीमिलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy layer OBC) 21 %		विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) * 1 %		सामान्य अभ्यर्थी (General)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
40	4	2	4	1	6	2	1	0	16	4

* विशेष पिछड़ा वर्ग को प्रत्येक दो शैक्षणिक सत्र में एक बार आरक्षण का लाभ देय होगा।

1. रक्षा कार्मिकों हेतु आरक्षण

राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में रक्षा कार्मिकों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। जिसमें निम्न वरियता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा : (Appendix - II)

(i) Category of defence persons for priority will be as follows :-

- EX-S(a) - Killed in action.
- EX-S(b) - Disabled in action and boarded out from service/ Died while in service with death attributable to mil service/ Disabled in service and boarded out with disability attributable to mil service.
- EX-S(c) - Gallantry Award Winners.
- EX-S(d) - Ex-Servicemen.

- (ii) The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
- (iii) 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.

नोट :- गेलेन्टरी अवार्ड विजेता के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षा कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों को, रक्षा कार्मिकों हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

2. **Kashmiri Migrants category (KM)** : 5% of total intake capacity over and above the sanctioned strength in each of the institution will be reserved for Kashmiri migrants. Sons/ Daughters of displaced persons from Jammu & Kashmir shall be eligible for admission to Diploma Courses. The candidate has to submit a certificate from the competent authority as a proof a being son/daughter of displaced persons from Jammu & Kashmir.
3. निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान विधवा और तलाकशुदा महिलाओं से भरे जायेंगे, जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।
4. उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिये पहले महिला अभ्यर्थियों के स्थान से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जायेंगे।
5. बीएसएफ, सीआरपी व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

3. प्रवेश में प्राथमिकता (Preferential categories) :

1. निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी –
 1. जिन अभ्यर्थियों ने प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर, राजस्थान का डिप्लोमा राजस्थान में स्थित किसी भी पॉलिटेक्निक से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण किया हो। अथवा राजस्थान में स्थित किसी भी इंजीनियरिंग महाविद्यालय से नियमित अध्ययन कर इंजीनियरिंग डिग्री (किसी भी संकाय में) उत्तीर्ण हो।

अथवा

अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।

अथवा

अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान / पत्नी हो।

अथवा

अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के बोर्ड कॉर्पोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान / पत्नी जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो।
 2. यदि उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बाद प्रवेश स्थान रिक्त रहते हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

4. प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं :-

1. अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा (किसी भी संकाय में) परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिये, अथवा अभ्यर्थी इंजीनियरिंग डिग्री (किसी भी संकाय में) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिये। **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को न्यूनतम प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंक की छूट प्राप्त होगी।**
2. आयु सीमा : प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है।

5. योग्यता सूची :-

1. प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री में प्राप्त कुल अंको की प्रतिशतता के आधार पर बनाई जावेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों को उद्योगों में 6 माह कार्य करने का अनुभव प्राप्त है उन्हें इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री के प्रतिशत में 5 प्रतिशत जोड़ कर योग्यता सूची में स्थान निर्धारण किया जावेगा।

6. शारीरिक स्वास्थ्य :-

प्रवेश का इच्छुक अभ्यर्थी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। (परिशिष्ट - I के अनुसार)

7. शुल्क :-

सीट आवंटन के पश्चात सारणी-2 के अनुसार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शुल्क ड्राफ्ट/नकद के रूप में जमा कराना होगा। ड्राफ्ट प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर के नाम देय होगा।

8 संस्थान में उपस्थिति :-

- (क) प्रवेश प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर में उपस्थिति देनी होगी।
- (ख) उक्त निर्धारित तिथि से अभ्यर्थी की उपस्थिति प्रारम्भ की जावेगी।

9. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान में नामांकन :-

- (क) पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएँ प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा की जायेगी।
- (ख) पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को मण्डल में नामांकन करवाने हेतु नामांकन प्रपत्र तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। यदि अभ्यर्थी ने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, राजस्थान से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है तथा डिप्लोमा के पश्चात प्रव्रजन प्रमाण पत्र नहीं लिया है तो उसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी।
- (ग) नामांकन के समय प्रव्रजन प्रमाण पत्र नहीं जमा करा पाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-IV के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (घ) मण्डल द्वारा अभ्यर्थी का नामांकन कर उसे नामांकन संख्या दी जायेगी।
- (ङ) मण्डल में नामांकन के उपरान्त अभ्यर्थी का मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र, जिस के आधार पर मण्डल में नामांकन किया गया है, वापिस नहीं लौटाया जायेगा।
- (च) मण्डल में नामांकन हेतु नामांकन प्रपत्र भरने के उपरान्त अभ्यर्थी पोस्ट डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही जब भी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र अध्ययन हेतु जाता/जाती है तो उसके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर मण्डल द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- (छ) अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवेश रद्द कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. छात्रावास सुविधा एवं शुल्क :-

- (अ) छात्रावास में प्रवेश संबंधित निर्णय उपस्थिति के समय प्राचार्य के द्वारा किया जायेगा एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को सारणी-3 में दिया गया शुल्क प्राचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा कराना होगा।
- (ब) छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटाई जायेगी।

11. अन्य सामान्य सूचनाएं :-

- (i) एक अच्छे विद्यार्थी के लिये आवश्यक अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, उत्तरदायित्व की भावना एवं गुणों के विकास पर संस्थाओं में अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।
- (ii) यदि किसी विद्यार्थी को संस्था का अनुशासन भंग करता पाया गया अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल हो तो संस्था के प्राचार्य को उस विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिसमें प्रवेश रद्द कर संस्था से निष्कासित करना, किसी भी अवधि के लिये संस्था से निलम्बित करना, आर्थिक दण्ड देना या चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि करना आदि सम्मिलित है।
- (iii) यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्था से निरंतर पन्द्रह दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा। कक्षा से किसी भी अवधि की सामूहिक अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए विद्यार्थी का नाम संस्था से अस्थायी रूप से काट दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को 200/- रुपये का **पुनः प्रवेश शुल्क** जमा करवाने एवं लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर पुनः प्रवेश प्रचार्य अपने विवेकानुसार अगले दो उप सत्र तक दे सकेंगे। परन्तु विद्यार्थी को उस उप सत्र के दौरान पुनः प्रवेश दिये जाने की स्थिति में उक्त अनुपस्थिति के कारण यदि कक्षाओं में उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है तो विद्यार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्था का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उपरोक्तानुसार संस्थान में पुनः प्रवेश

प्राचार्य द्वारा नहीं दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम संस्थान से स्थायी रूप से काट दिया जावेगा।

- (iv) यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर चाहे विद्यार्थी उस समय किसी भी उप सत्र (सेमेस्टर) में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।
- (v) प्रवेश संबंधी समस्त विषयों पर संयोजक, पोस्ट डिप्लोमा प्रवेश एवं प्राचार्य, विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे।
- (vi) प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, उदयपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा, अन्यत्र नहीं। विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिये।
- (vii) विद्यार्थी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पढ़ाई के वर्षों में संस्था के समय में किसी भी संस्थान में नौकरी नहीं कर सकेगा। यह नियम उद्योगों द्वारा पूर्ण कालिक अध्ययन के लिये स्पोन्सर विद्यार्थी पर लागू नहीं है।
- (viii) विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं नियमनों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन आदि हेतु मण्डल के नियम लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जायेगी।
- (ix) प्रवेश लेने के बाद यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश अध्ययन जारी नहीं कर पाता है तो शुल्क लौटाने के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (x) विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अवधान द्रव्य लौटाया जायेगा।

निदेशक

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

**विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर के डेढ़ वर्षीय (तीन सेमेस्टर)
“पोलीमर साइंस एवं रबर टेक्नोलोजी” पोस्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये शुल्क विवरण सत्र 2011 – 2012**

पाठ्यक्रम शुल्क

सारणी : 2

क्र. सं.	मद	राशि (रूपयों में)		
		प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर
1.	शिक्षण शुल्क	6000 / -	6000 / -	6000 / -
2.	अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय देय तथा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त Refundable)	5000 / -	-	-
3.	विकास शुल्क	4000 / -	4000 / -	4000 / -
योग		15,000 / -	10,000 / -	10,000 / -

नोट : सीट आंवटन के पश्चात अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार शुल्क विद्या भवन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नकद/ड्राफ्ट के रूप में जमा करायेगा।

छात्रावास शुल्क

सारणी : 3

क्र. सं.	मद	राशि	
1.	प्रवेश शुल्क	250.00	
2.	विकास शुल्क	500.00	
3.	कमरे का किराया	सिंगल सिटेड	6000.00
		डबल सिटेड	4000.00
4.	छात्रावास का अवधान द्रव्य	2000.00	
5.	छात्रावास मेस अग्रिम धन	2000.00	
6.	छात्रावास मेस सिक्योरिटी	1000.00	
7.	पानी के व्यय का शुल्क	वास्तविक	
8.	विद्युत शुल्क	वास्तविक	
9.	फर्निचर मरम्मत शुल्क	250.00	
10.	विद्युत शुल्क अग्रिम	2000.00	
11.	विविध शुल्क	500.00	

नोट : बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी विद्यार्थियों में समान रूप से बांट कर वसूल किया जायेगा। **तृतीय छः माही सेमेस्टर में उपरोक्त वार्षिक शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।**

Directorate of Technical Education, Rajasthan, Jodhpur
ADMISSION FORM
Post Diploma Course in Polymer Science & Rubber Technology
Session 2011-12

1. Name :
2. Father's Name :
3. Gender : Male / Female
4. Date of Birth :
5. Category : Gen./ SC / ST / Non Creamy Layer OBC /
 Non Creamy Layer SBC / Handicapped /
 Industry Sponsor / Ex-Serviceman A, B, C, D /
 Kashmiri Migrants / Widow / Divorcee
6. Qualifying Examination Details:

Paste a
 3.5 cm x 4.5 cm
 photograph only

Sr. No.	Qualification	Sub./Branch	Year	Board/University	Division	Percentage
1.	X					
2.	XII					
3.	Diploma					
4.	Degree					

7. Permanent Address :
-
-
- Phone Mobile No.
- Email

[Signature of Candidate]

Declaration

We, hereby declare that, we have read the prospectus in detail and endorse my commitment to abide by all the rules and regulations of Polytechnic, Hostel, and Board of Technical Education, Rajasthan, Jodhpur failing which admission may be terminated at any stage of study and legal action may be initiated for the default.

Date Signature of Candidate Signature of Parent/ Guardian
Place Name Name

Enclosed : Mark Tick [✓]

- 1. X Mark Sheet :
- 2. XII Mark Sheet :
- 3. Diploma Mark Sheet :
- 4. Degree Mark Sheet :
- 5. Caste Certificate :
- 6. Industry Sponsor Certificate :

[Signature of Candidate]

For Office Use only

May be provisionally admitted Fee amount : `

Receipt No. :

Date :

Principal

Cashier

FORM OF MEDICAL CERTIFICATE

(To be produced at the Institution along with fee)

(Kindly issue this certificate **only when the candidate is fit** according to the standards given overleaf)


I/Dr _____ (Name) working in _____
 (Name of Hospital & Place) Certify that I have carefully examined _____
 (Name of Candidate) S/o, D/o, W/o Shri _____
 whose photograph attested by me is affixed here with. As a result of his/her medical examination, I
 have discovered nothing that may disqualify him/her from admission to a Polytechnic in Rajasthan
ACCORDING TO THE STANDARDS OF PHYSICAL FITNESS PRESCRIBED OVERLEAF. I
 have to further report that :

He/She has no disease or mental or bodily infirmity making him/her unfit or likely to make
 him/her unfit in the near future for active out door duty, as an Engineer.

Marks of identification _____

Hence the candidate is fit as per standards given overleaf for admission to Polytechnic in
 Rajasthan.

Signature of Candidate



Signature of Medical Officer

Seal of Designation and
Hospital

Dated :

**Photograph must also be attested
by above Medical Officer**

N.B.

1. This certificate shall be signed by a Govt. Medical Officer of Gazetted rank.
2. The Govt. Medical Officer should sign and stamp his seal across the photograph.
3. Minimum conditions regarding height and chest are not applicable for girl candidates.
4. Physically Handicapped Candidates should fulfill all the standards of medical fitness except the bodily disability for which he has been declared handicapped. For which separate certificate on a prescribed Performa is to be produced at the Institution.

PHYSICAL STANDARD FOR ADMISSION IN POLYTECHNICS OF RAJASTHAN

1. Candidates must be in good mental and bodily health and free from physical defects likely to interfere now or in future with his/her active outdoor service duties.
2. No candidates will be considered fit for admission if he/she falls below the following standards :-

(a) Visual acuity :

- i) If myopia exists in one or both eyes, candidate may be passed provided the Ametropia does not exceed 4D, the acuteness of vision in one eye equal 6/9 and in the other 6/6 there being normal range or accommodation with the glasses.
 - ii) Myopic astigmatism does not disqualify a candidate provided lens or the combined spherical and cylindrical lenses required to correct the error of refraction, does not exceed 4D, the acuteness of vision in one eye, when corrected being equal to 6/6 and in the 6/9 together will normal range of accommodation with the correcting glasses there being no evidence of progressive disease in the cornea or retina.
 - iii) A candidate have total hyprometyopia not exceeding 4D is not disqualified provided the sight in one eye (when under the influence of atropine) equal 6/9, and in the other equal 6/6 with 4D glasses or any lower power.
 - iv) Hyprenotropic stagnation does not disqualify provided the lens or combined lens/debt required to cover the error of refraction do not exceed 4D and that the sight of one eye 6/9 and other 6/6 with or without such lens or lenses.
 - v) A candidate having a defect of vision arising from nebula of the cornea is disqualified only if the sight of one eye is less than 6/12, in such a case the better eye must be emmertropic. Defects of vision arising from pathological or other changes in the deeper structure of either eye which are not referred to in the rules may exclude a candidate.
 - vi) A candidate is disqualified, if she is unable to distinguish the principal colours.
 - vii) Paralysis of one or more of he exterior muscles of the eye ball disqualify a candidate.
- (b) A candidate who can hear a normal talk from a distance of 10 feet even with the help of hearing aids will be considered fit for admission in polytechnics.
 - (c) Candidate should not be of less than 152 cm. height.
 - (d) That his chest should not be less than 68 cm. and have "minimum expansion of 5 cm."
 - (e) That his/her speech is without impediment.
 - (f) That his/her teeth are in good condition. He/She must have 10 sound teeth in upper-jaw functionally opposed to 10 sound teeth in lower-jaw Two of these teeth in each-jaw be molars wall filled teeth will be considered as sound.
 - (g) That his/her chest is will formed and that her lungs and heart are sound.
 - (h) That he/she is not ruptured.
 - (i) That he/she does not suffer from a severe degree of vericocele of varicose veins. A candidate who has been successfully operated, may be accepted.
 - (j) That his/her limbs are well formed.
 - (k) That there is free and perfect motion of all joints.
 - (l) That his/her feet and toes are well formed.
 - (m) That he/she does not suffer from any inveterate skin disease.
 - (n) That he/she has no congenital maliotmation of defects.
 - (o) That he/she does not bear traces of previous, acute or chronic disease or an impaired constitution.

APPENDIX – II

**CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY DEPENDENT OF DEFENCE PERSONNEL
(To be attached with application form)**

No. _____

Date: _____

I _____ certify that
(Service No. Rank & Name of the Certifying Officer)

(Service No. Rank & Name of defence personnel)

Natural father/mother of _____ is/was Defence Person
(Name of Applicant)

His/Her particulars are :

1. Service No., Rank and Name of the person _____
2. Name of the Unit last Served _____
3. Date of enrolment _____ Date of death/discharge/retirement _____
4. He/She is/was ex-serviceman of Rajasthan origin and his/her home town as given by him/her at the time of his/her entry into service is _____
5. His/Her Registration/Identity Card No. is _____ dated _____ and P.P.O. No. is _____

Category of defense persons for priority :

(Tick (✓) which every is applicable and strike off whichever is not applicable)

- EX-S(a) - Killed in Action Yes | No
- EX-S(b) - Disabled in action and boarded out from service / Died while in Service Yes | No
with death attributable to Military Service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to Military Service.
- EX-S(c) - Gallantry Award Winner. Yes | No
- EX-S(d) - Ex- Servicemen Yes | No

Signature _____

Name _____

Seal of Officer

District Soldier Welfare Officer/ Commanding Officer

Name of District / Unit Number _____

- (1) Strikeout whichever is not applicable.
- (2) Definition of Ex-serviceman shall be as per Hand Book on Resettlement of Ex-servicemen (1995).
- (3) The domicile requirement for the ward of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan. The domicile condition is waived off to enable them to appear in the entrance test and be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
- (4) 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilization by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.
- (5) Defence personnel should be of Rajasthan origin. The state of origin and the home town as entered in the discharge certificate/record shall only be accepted as proof in respect of above.

Note : Copies of discharge certificate and P.P.O. should also be submitted. Originals should be brought at the time of Counseling.

**Certificate regarding Scheduled Caste/Tribe/
Non Creamy Layer OBC/ Non Creamy Layer SBC
(To be attached with application form)**

**(This certificate must be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/
Additional District Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/ Tehsildar of the District/
Place of which the candidate is a resident)**

No _____

Date : _____

I _____ (Name of the District Magistrate/ Addl. District Magistrate/
S.D.M./ Tehsildar) certify that Shri/ Ku. _____ is the natural born (not adopted)
son/daughter of Shri _____ and belongs to Scheduled Caste/ Scheduled
Tribe/ Non-Creamy Layer OBC/SBC* _____ (Name of the caste) by birth as notified under
Presidential Order for the State of Rajasthan in _____ (village/Tehsil) District
_____.

Court Seal :

Date:

Signature of the District Magistrate
ADM/SDM/Tehsildar**OR**

**If the above certificate, issued by competent authority, is already available then attach the
attested photocopy of that certificate.**

- * (a) **For non creamy layer OBC/SBC candidates, the above certificate should be issued by the
competent authority and should not be older than six month from last date of application
form submission..**
- (b) **Non creamy layer OBC/SBC candidates will have to furnish an undertaking in the
following format along with the above certificate.**

UNDERTAKING BY NON CREAMY LAYER OBC/SBC CANDIDATES

I..... son / daughter of Shri..... resident of
village / town / city district Rajasthan State hereby
undertakes that I belong to the community, which is recognized as a backward class by Government of
Rajasthan for the purpose of reservation for admission in the state of Rajasthan. **It is also declared that I do not
belong to persons / sections (Creamy Layer)** mentioned in column 3 of the orders contained in the
notification No. F9(8)DOP/A-V/90 dated 28th September, 1993 (as amended from time to time) issued by the
Department of Personnel, Government of Rajasthan.

I declare that status / income of my parents / guardian is below the prescribed limits for creamy layer as on
financial year ending on **March 31, 2011**.

That in the event of declaration being found false misleading or incorrect during or after Diploma programme,
I will not have any objection whatsoever against the action taken in the matter, which I understand, shall
not be less than termination of the program and if the Diploma programme has been awarded, the same shall
be cancelled forthwith.

Place :

Signature of Candidate

Date :

Name of the Candidate

{ संस्था में पंजीकरण/ नामांकन के समय प्रस्तुत किया जावे }

शपथ – पत्र

मैं (विद्यार्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री
(पिता का नाम) शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. * मैं (परीक्षा का नाम) की पूरक परीक्षा सत्र 2010-11 में सम्मिलित होने के कारण प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। मैं प्रवजन प्रमाण पत्र उपरोक्त पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।
अथवा
* मैं अपरिहार्य कारणों से पंजीकरण के समय प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। मैं प्रवजन प्रमाण पत्र संस्थान के प्रधानाचार्य को पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रस्तुत कर दूंगा/दूंगी।
2. उपरोक्तानुसार प्रवजन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में यदि मेरा प्रवेश निरस्त हो जाता है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।
3. उपरोक्तानुसार मेरा प्रवेश निरस्त हो जाने पर मैं किसी प्रकार के लाभ का हकदार नहीं होऊंगा/होऊंगी। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा तथा मैं किसी प्रकार के शुल्क वापस पाने का हकदार भी नहीं होऊंगा/होऊंगी।

स्थान : अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पता

अनुप्रमाणित

श्री पुत्र/पुत्री श्री को
जिन्हें श्री ने पहचाना है ने मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये
एवम् उपरोक्तानुसार शपथ पूर्वक घोषणा की है।

दण्डनायक/ नोटरी के हस्ताक्षर

* जो लागू हो ।

(आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे)

शपथ – पत्र

मैं (नाम) पुत्र/पुत्री श्री
(पिता का नाम) आयु जाति निवासी
.....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. मेरा नाम व उपनाम मेरे पढाई दस्तावेजों व जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों में
(नाम जैसा कि प्रमाण पत्रों में लिखा है) लिखा हुआ है लेकिन वास्तविकता में मेरा नाम
..... (जैसा अंकतालिका में अंकित है) होना चाहिये जो अधूरा लिखा हुआ है।

सत्यापन

मैं अपने शपथ पत्र की मद सं. 1 को अपनी निजी जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार करती हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पता

.....

.....

अनुप्रमाणित

श्री पुत्र/पुत्री श्री को
जिन्हें श्री ने पहचाना है
ने मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये एवम् उपरोक्तानुसार शपथ पूर्वक घोषणा की है।

दण्डनायक/ नोटरी के हस्ताक्षर